(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी राजकुमार सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35 / 11

उनवान

1.साधना इन्फाटेक प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर नारायण लाल पुत्र केदारमल लढा निवासी आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाडा

बनाम

1.इन्वेस्टमेन्ट साझेदार फर्म पुषा निवास भीलवाडा साझेदार नीरज मानसिंहका पिता हरिकृष्ण मानसिंहका निवासी भीलवाडा
2.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि.,1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि. ,1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 17.01.2011 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर, तहसील भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 10326 / 7037 , 10327 / 7038 किता 02 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है।इसलिए प्रार्थी अपने खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है।आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.01.2011 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये।विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्राावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है कि प्रार्थी का स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।वैसे भी इस पकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है।अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतएव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम पुर में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 10326 / 7037, 10327 / 7038 किता 02 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा दो बीघा दस बिस्वा की पत्थरगढी शामलात पक्षकारान एवं पडौसियान की उपस्थिति में करा देवें।प्रार्थी इस कार्य के लिए तहसील भीलवाडा में रूपये 150 /–एक सौ पचास बतौर खर्चा सरकारी मद में जमा करायेंगा एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिशनर फिस 150 / – रूपये एक सौ पचास संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा,खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 09.06.2011 को सुनाया गया।

(राजकुमार सिंह आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

Scanned by CamScanner